<u>हरियाणा विधान सभा</u>

बुधवार, 12 मार्च, 2025 को 10.00 बजे प्रात: विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची (प्रथम बैठक)।

I. प्रश्न ।

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. शून्य काल ।

III. <u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं।</u>

(i)	**<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-1</u>** जिसकी सूचना **श्री शीशपाल केहरवाला, एम.एल.ए.** द्वारा दी गई है ।	युवाओं को अवैध रूप से विदेश भेजने से सम्बंधित।
	<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-10</u> श्री अर्जुन चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1 पर चर्चा के समय एक स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं।
	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-31 जिसकी सूचना- (i) **श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.;** **(ii) श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.; तथा** **(iii) श्री अशोक कुमार अरोडा, एम.एल.ए.** द्वारा दी गई है, को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य श्री **आफताब अहमद, एम.एल.ए.** भी प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।
(ii)	**<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-12</u>** जिसकी सूचना **श्री आदित्य देवीलाल, एम.एल.ए.** द्वारा दी गई है।	तालाबों में पानी की गुणवत्ता पर चिंता से सम्बंधित।

IV. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखा जाने वाला कागज-पत्र।

एक मंत्री	हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अध्यादेश, 2025 मेज पर रखेंगे (2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या-1)

V. <u>राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण ।</u>

10 मार्च, 2025 को श्री घनश्याम दास, एम.एल.ए. तथा श्री योगीन्द्र सिंह राणा, एम.एल.ए. द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण, अर्थात्:-

"कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए:-

'कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 07 मार्च, 2025 को 11.00 बजे प्रात: सदन में देने की कृपा की है।'।"

चण्डीगढ़:
11 मार्च, 2025.

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।